

29

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे  
सदस्य

निगरानी प्र० क० 1177-दो/2012 विरुद्ध आदेश दिनांक 10-02-12 पारित अपर कलेक्टर, रीवा प्रकरण क्रमांक 409/अ-6/2010-11 निगरानी.

- 1- गिरीश कुमार उपाध्याय तनय शिवकुमार
  - 2- जयकुमार उपाध्याय तनय गिरीशकुमार
  - 3- विजयकुमार उपाध्याय तनय गिरीशकुमार
  - 4- अजयकुमार तनय गिरीशकुमार
- सभी निवासी ग्राम पोस्ट गुढ़, जिला रीवा

— आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- लक्ष्मीकान्त उपाध्याय तनय स्व. रामसुन्दर
  - 2- उमेशकुमार उपाध्याय तनय शिवकुमार
- सभी निवासी ग्राम पोस्ट गुढ़, जिला रीवा

— अनावेदकगण

श्री एस०के० उपाध्याय, अभिभाषक — आवेदकगण  
श्री अरविन्द पाण्डे, अभिभाषक— अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 21.4.14 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 409/अ-6/10-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-02-2012 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।




- 2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण लक्ष्मीकान्त एवं उमेशकुमार द्वारा तहसीलदार, गुढ़ के आदेश दिनांक 04-09-10 के विरुद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 4-6-2011 द्वारा दायरा बिन्दू पर अपीलान्ट को सुनने के पश्चात प्रकरण पंजीबद्ध कर अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख तलब करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी निगरानी अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 10-02-12 द्वारा खारिज की गयी है। अतः आवेदकगण यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है।
- 3/ मैंने उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अनावेदकगण हितबद्ध पक्षकार नहीं है तथा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील ग्राह्य करने में गलती की है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।
- 4/ अनावेदकगण के अभिभाषक का यह तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमियाँ संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रिक भूमियाँ हैं। अनावेदक लक्ष्मीकान्त मृत राम सुन्दर का पुत्र है तथा अनावेदक क0-2 उमेशकुमार रामसुन्दर के मृत पुत्र शिवकुमार का पुत्र है। आवेदक क0-1 गिरीश कुमार मृत शिवकुमार का पुत्र होकर अनावेदक क0-2 का भाई है तथा आवेदक क0 2 से 4 गिरीशकुमार के पुत्र हैं। आपसी बटवारे के आधार पर नामान्तरण पंजी में प्रविष्टि का प्रमाणीकरण कराया है। अनावेदकगण हितबद्ध पक्षकार होते हुए भी नामान्तरण के पूर्व ना तो सूचनापत्र दिया और ना ही सुनवायी का अवसर दिया। आदेश की जानकारी से समयावधि में अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी है जिसे ग्राह्य करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।



5/ अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 04-06-2011 से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण पंजीबद्ध कर अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख तलब करने तथा रेस्पो. को आहूत करने के आदेश दिये है। तहसीलदार के मूल आदेश के विरुद्ध अपील सुनवायी कर विनिश्चय करने की अधिकारिता अनुविभागीय अधिकारी को है। अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की होकर पैत्रिक होना बताया गया है। ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील ग्राह्य कर अभिलेख तलब करने एवं अनावेदकों को आहूत करने के आदेश देने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। आवेदकगण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं जिसका उन्हें पूर्ण अवसर प्राप्त है। ऐसी दशा में निगरानी में हस्तक्षेप करने का समुचित आधार नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 10-2-12 एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 04-06-11 यथावत रखे जाते हैं।

  
(अशोक शिवहरि)  
सदस्य,  
राजस्व मण्डल, म0प्र0